उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–61/2022–23

सरकार

–बनाम–

सजाद हुसैन

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2137/अप0 शा0 दिनांक – 02.08.2022 के द्वारा वादी पु0अ0 नि0 प्रदीप कुमार पे0–स्व राजदेव यादव सा0–बड़हीबिग्हा थाना– हंटरगंज जिला –चतरा सम्प्रति पु0 अ0 नि0 के पद पर सिसई थाना में पदस्थापित जिला– गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर सिसई थाना काण्ड सं0–32/2022 दिनांक–17.03.2022 धारा–429/34 (बी) भा0 दा0 वि0 12 झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 एवं 11 (1) (K) पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम–1960 के तहत क तहत् जप्त पिकऑप वाहन सं0 – JH05BR- 4231 के मालिक सजाद हुसैन पं0–सहामत अली सा0 कुर्गी थाना–ईटकी जिला–रांची के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष न्यायालय में रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक गुमला से वैधिक मंतव्य की मांग की गई।

उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया । उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत वाद में जप्त वाहन को व्यवहार न्यायालय द्वारा मुक्त किया गया है परन्तु न्यायालय द्वारा आदेश की प्रति उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है।

लोक अभियोजक गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि झारखण्ड गो–वंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम–2005 (Jharkhand Bovine Animal Probhition of Slaughter Act.) के दंडात्मक धारा–12(3) में उल्लेख है कि: "Whenever a vehicle is found to have been used in transportation of cattle or, beef contravening any provision of this Act. the vehicle shall be forfeited to the State Government"

उक्त अधिनियम की धारा 12(1) एवं 12(3) में उल्लेखित सजा अपराधिक न्यायालय में संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर दिया जा सकता है, एवं अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लघन कर गोवंशीय पशुओं या गोमांस का वहन करते पाए जाने पर संलिप्त वाहन को न्यायालय द्वारा राज्य के पक्ष में Forfeit किया जाएगा।

इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि झारखण्ड Bovin Animal Prohibition of Slaughter Act.2005 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध होने के उपरान्त ही राजसात की कारवाई प्रारंभ की जा सकती है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Cr.M.P.No. 2862/2013 With Cr.M.P.No. 2865/2013 द्रष्टव्य।

उक्त विधिक प्रावधानों एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वर्त्तमान में राजसात की कार्रवाई करना समीचीन प्रतीत नही होता है।

इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक गुमला/लोक अभियोजक, गुमला को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

18.12.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.12.31 13:12:24 +05:30
Location: 192.168.5.105

18.12.22

उपायुक्त,
गुमला